

تعمیر کیا جائے اور اس زبان کا سیما  
استعمال نہ کیا جائے اور دو زبان کے طالب علموں  
کو سیدھے اردو میں سے جوڑا جائے تاکہ  
اردو زبان ترقی کر سکے۔ یہ ہمارے ملک  
کی زبان ہے۔ ہمارے تدریس کی زبان ہے۔  
ہماری قوم کی زبان ہے۔ محض دستاویزی زبان  
ہے۔ اور گنگا جمنی تہذیب کی وارث اور  
بہت محفوظ زبان ہے۔ ایک مرتبہ میں بھر  
امریکی حمایت کر کے ہونے والی بات ختم  
کرنا چاہیے۔ بہت بہت مشکوریہ۔ ختم شد

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala):  
Madam Chairperson, I stand to support  
this Bill which is a great tribute to the  
great leaders of freedom movement and  
to one of the secular leaders of the  
nation. He was the first Minister of  
Education which is, of course, called  
HRD Ministry. His contribution to the  
improvement of education and character  
in this country will be remembered in the  
days to come. This is an Urdu University  
which creates confidence among the peo-  
ple who speak Urdu. A large number of  
people speak Urdu. Urdu should get the  
status which it deserves. This University,  
which is an open University, which is  
given jurisdiction all over the country,  
will definitely help those who wish to join  
this University from different parts of the  
country. I fully endorse the views ex-  
pressed by my colleague, Mr. Rahmai  
Khan. He has proposed some amend-  
ments and has also raised some ques-  
tions. I want to make one suggestion.  
Clause 27 of the Bill speaks about power  
to make Ordinances. The hon. Minister

has to give an explanation to this. Sub-  
clause (c) of Clause 27 relates to the  
medium of instruction and examination.  
The medium of instruction and examina-  
tion is Urdu itself. If you give power to  
issue an Ordinance to change the medium  
of instruction, it will go against the basic  
principles of this University itself. I don't  
know what he means by this clause that  
the medium of instruction can be changed  
by an Ordinance. The Minister has to  
explain what the purpose of changing the  
medium of instruction is. There are many  
things which have to be debated very  
well.

Another point which Mr. Rahman  
Khan has already pointed out is regarding  
recognition. I don't want to quote it. He  
has already mentioned about the recogni-  
tion of other universities by the Govern-  
ment.

Here, I would like to quote Allama  
Iqbal, the world reknowned Urdu poet,  
who envisaged:

“زندگی کچھ اور ہے ہے کچھ اور ہے  
زندگی سوجن نینر ہے کچھ ہے سوجن دیمار  
کچھ میں دلالت ہے کچھ میں لکھت ہے  
اک مضمکال ہے کچھ آتات نہیں اپنا  
سوراگ  
اھلے دانیہ آتات ہے کم یاب ہے اھلے نجر  
کچھ تاجکوب ہے کچھ خالی رہ گیا تیرا باگ”

Let the Maulana Azad National Urdu  
University fill this gap. Thank you.

Re. Clarification by the Prime Minister  
about the so-called statement made  
by him with regard to the quantum  
of damage caused during recent  
cyclone in Andhra Pradesh.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS  
SAROJ KHAPARDE): Statement by the  
Agriculture Minister, Mr. Chaturanan  
Mishra.

SHRI S.R. BOMMAI: What about my  
Bill, Madam?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We will continue with it tomorrow because the Agriculture Minister is to make a statement on the Andhra Pradesh cyclone of 6th and 7th November. *(Interruptions)*

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Madam, this morning, an important issue was raised in the House in regard to certain Press statements which were attributed to the hon. Prime Minister. We raised this matter in the House this morning.

THE PRIME MINISTER (SHRI H.D. DEVE GOWDA): Madam, if you permit me, I would clarify.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Since the hon. Prime Minister is here, we think it would be better if he clarifies.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Renukaji, we have to take up the business listed for 4 p.m. As per the business before me, the hon. Agriculture Minister has to make a statement now on the Andhra Pradesh cyclone.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Madam, the hon. Prime Minister himself has just now said that he would clarify the position. *(Interruptions)* Since some Press statements were attributed to him and since he is here, it is better if he clarifies. *(Interruptions)*

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: It was Mr. Upendra.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: It may be anybody. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Prime Minister, just one minute. Madam Deputy Chairperson had given permission to raise the issue on the floor of the House. This is what I am told by the Secretariat. Therefore, I would request the hon. Prime Minister to make a statement on this issue.

SHRI S.B. CHAVAN: May I request the hon. Prime Minister that after all the hon. Members have made their points, if he intervenes in the debate, he would be able to react to the points that we might be raising in the course of our seeking clarifications?

SHRI H.D. DEVE GOWDA: Madam, the issue which was raised in the morning was about the so-called statement made by me with regard to the quantum of damage caused during the recent cyclone in Andhra Pradesh. *(Interruptions)* Alleged statement.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I said that.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: I have not made any statement.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: It was by a member of another party.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: I have not made any statement at all.

Madam, the issue is: several delegations met me. I have also visited the affected areas. Even during my aerial survey, I have not made any assessment of the actual quantum of damage that was caused. Three delegations met me. The Government of Andhra Pradesh submitted a memorandum. In that memorandum, they have put the figure at about Rs. 6,000 crores. There was another delegation. I do not want to take any political party's name. One delegation came and met me. They said that the quantum of damage was about Rs. 15,000 crores. In the opinion of another delegation, the extent of damage was about Rs. 8,500 crores.

I only said that the official team had to visit the area; till the official team visited the entire affected area and submitted a report, I would not say what exactly was the quantum of damage that had occurred. In somebody's opinion, it was Rs. 15,000 crores. In the opinion of another delegation, it was Rs. 8,500 crores. As per the memorandum

submitted by the State Government, the extent of damage was about Rs. 6,000 crores. So I have to finally rely on the official report. Till then I cannot make any comment. This is what I said to the delegation. I have not made any statement anywhere, to the press; either in this House or outside the House. Nowhere have I made any statement. This is the position that I would like to clarify.

So far as relief measures taken by the Government are concerned, after my colleague, the Agriculture Minister makes his statement, I will intervene, if necessary, after the debate is concluded.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you. I think hon. Members are satisfied. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): No, no. After the distribution. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.B. CHAVAN: After we put the questions.

SHRI M.A. BABY: Let the statement be made first.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, I am glad that this clarification has been made. It was important that this clarification took place because I have personally seen the Prime Minister appealing for relief to Andhra Pradesh. Contrary to that, the newspapers carried front-page headlines, which had set about unnecessary rumours floating around the country and which affected our relief measures. So I appreciate it that the Prime Minister has clarified the position.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): May I now proceed, with your permission, to the next item of business?

SHRI SATISH AGARWAL: Where is the statement? This is only statistical data.

This Bill was proposed by the earlier Government. So we have to incorporate the amendment proposed by my colleague.

Then another important thing which I want to mention is the secular character of this university. We should not make it look like something else. The secular character must be maintained in this university because Maulana Azad resisted all temptations during the freedom movement whether as the Congress President or as a freedom-fighter. Even during the time of partition he stood like a rock against any kind of communal overtone and any kind of effort to undermine the secular character of this nation. While establishing an Urdu university in the name of Maulana Azad we should see that it shall not deviate from the principles for which he lived till death. He was the man who stood for secularism. He was the man who stood for the freedom of this nation. He stood for the unity of this country. He stood for the unity of the people. When this university comes into existence, the Government must take into account the basic facets of his character, his approach to the problems of this nation because in his name we shall not make any deviation.

Another thing which I would like to mention is this. The amount which has been earmarked, I think, is very insufficient. This Bill was prepared many years ago. Of course, they can come out with an amendment because it is a constitutional requirement. But at the same time, I would like the Minister to give a categorical assurance to this House that after passing this Bill, we shall not leave it there. This university should not suffer from lack of funds. We should not feel that the Bill has been passed and some appointments have been made. If there is a lack of funds, it will be an impediment to the progress and activities of this university.

So far as the selection of officers is concerned, there should be least interference by the Government. That is one

thing. Secondly, persons selected for higher posts like Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor and other posts prescribed in the Bill, should be qualified. It should not be a place for patronage. It should not be a place for accommodating some people. As Maulana Azad lived and died for the nation, the dignity of the institution should be maintained.

With these words, I support this Bill.

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल):** धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदया। आज एक ऐसे समय पर इस राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी पर हम विचार करने के लिए यहां प्रस्तुत हुए हैं जबकि हम देख रहे हैं कि जिस सरकार ने इस बिल को सबसे पहले यहां इंट्रोड्यूस किया था और जो बहुत सारी द्विअर्थिक चीजें इसमें मिली थीं इसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी बनी और स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेज दिया गया। इस पर बाकायदा बहस हुई और बहस के बाद बिना उन सिफारिशों को इस बिल में समेटे हुए बोम्बई की इस बिल को फिर लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं होगी क्योंकि हटात आज यह बिल चर्चा के लिए आ गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को मैं आज सुबह से पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो इसमें समाहित होतीं तो हम इसका समर्थन करते। लेकिन उन चीजों को बिना समेटे हुए यह बिल एज इट इज ही जैसे कि माधव राव सिंधिया जी ने प्रस्तुत किया था, उसी रूप में बोम्बई जी ने आज फिर प्रस्तुत कर दिया है। अब, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता सिकन्दर बख्त जी ने कहा, न समर्थन किए बनता है न विरोध किए, ऐसी स्थिति हो गयी है। हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या किया जाए। ..(व्यवधान) जब सब लोग ही समर्थन करेंगे तो समर्थन में शामिल हो ही जाएगी मेरी बात। लेकिन मैं अपनी बात अगर यहां कहना चाहूँ तो मैं यह कहना चाहूँगी कि 1992 में पुनः निरीक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने को मद्देनजर रखते हुए जो कार्यवाही-कार्यक्रम 1992 की तैयारी के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में गठित टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश की गयी थी कि एक उर्दू विश्वविद्यालय बनाया जाए उस सिफारिश को पूर्ण रूप देने के लिए सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालय के रूप और कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया था जैसा कि अभी मैंने बात की। लेकिन उस समिति की सिफारिशों को इस रिपोर्ट में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है।

दूसरी बात मैं स्वयं एक विश्वविद्यालय की शिक्षिका हूँ। संयोग से हिन्दी विभाग में पढ़ाती हूँ और उर्दू विभाग के लोगों से मैं बड़े अच्छे ताल्लुकवात हूँ। जिस तरह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग में अनुदान की कमी है, धन की कमी है और जैसे धीरे-धीरे वह जर्जर हो रहा है, मैं सोचती हूँ भारत के जिन 40 विश्वविद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जा रही है उनमें भी धीरे-धीरे उसकी यही हालत हो रही होगी। बहुत सारे शिक्षकों की जो रिक्रियायें हैं वे पूरी नहीं हो रही हैं। विद्यार्थियों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। उर्दू के विकास की जो बात की जाती है वह केवल कागजों में सिमट कर रही गई है। ऐसी स्थिति में अगर यह बिल भी केवल कागजी कार्यवाही बन कर रहे तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इसका समर्थन करूँ लेकिन यदि इसे जिन्दगी में उतारना है और वास्तव में एक विश्वविद्यालय बनाना है तो उसका क्या इम्प्लाइजेशन होगा, अनुदान कहां से मिलेगा, सरकार उसके लिए कितने पैसे खर्च करेगी, क्या रूप-रेखाएं होंगी, यह स्पष्ट नहीं। यहां तक कि बिल को अगर पूरी तरह पढ़ें तो यह भी निश्चित नहीं किया गया है कि शिक्षा के अंतर्गत क्या-क्या समाहित किया जाएगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, इसमें केवल लैंग्वेज और लिटरेचर की पढ़ाई होगी या इसमें टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल भी समाहित किया जाएगा? आरंभ में अगर इसके उद्देश्य देखे जाएं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उर्दू माध्यम से ज्ञान-विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उन सब को समेट लिया जाएगा। लेकिन क्या यह संभव होगा? हमारे हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक प्रेम चन्द जी रहे हैं जो उर्दू में भी लिखा करते थे, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है:

“तकरीर अगर कागज पर हों तो बड़ी अच्छी लगती है, तालियां बजती हैं,

तकरीर जब जिन्दगी में उतरती हैं तो गर्दन तकसीम होने लगती हैं”

क्या हम केवल कागज पर इसे रखने जा रहे हैं? बहुत अच्छा बिल है, हम कागज पर रखते हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई, उसमें लोग पढ़ने लगे, नौकरियां मिलने लगीं तो उर्दू की वाह-वाह। लेकिन अगर सचमुच में हमें उर्दू के लिए कुछ करना है तो शायद इससे कोई बड़ा काम करना होगा।

उर्दू लैंग्वेज के बारे में जहां तक मुझसे पूछा जाए तो इससे अच्छी शायद ही दुनिया की कोई और भाषा है। हम हिन्दी भाषी होते हुए भी उर्दू के बहुत करीब रहते हैं और अपने बोलचाल के शब्दों में उर्दू के शब्दों को निकाल कर अगर हिन्दी के शब्दों को समाहित करके

बालें तो लगता है कि बोली अघूरी हो गई है। कहीं जुबान लड़खड़ा रही है। दाग भरे बड़े प्रिय शायर हैं और जिसका नाम सभी जानते हैं, उनकी एक पंक्ति है, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं "दाग सारे जहां में धूम हमारी जुबान की" यह हमारी जुबान जिसे उर्दू-ए-मुअत्ता कहा गया है, जो हिन्दुस्तानी है। इस हिन्दुस्तानी को, उर्दू-फारसी को नहीं, अगर हम सचमुच पूरी तरह प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इसे हायर एजुकेशन का माध्यम बनाना चाहते हैं तो जैसा भरे अन्य सांसद बंधुओं ने भी कहा है इसे प्राथमिक स्तर से बहुत मजबूत बनाना होगा और विश्वविद्यालय तक पहुंचने के पहले विद्यार्थियों को किस तरह की मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी, किस तरह की उनकी चेष्टाएं होंगी कि वे सचमुच जिन्दगी की कड़ा धूप का सामना कर सकें और जीवन में कुछ कर सकें। इस बिल के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था तो हिन्दी विश्वविद्यालय और उर्दू विश्वविद्यालय एक साथ ही स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुए। हिन्दी के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ देना चाहती हूँ। यह विश्व हिन्दी विद्यापीठ की योजना जब इंदिरा गांधी के सामने रखी गई 1983 में तो उसकी यह रिपोर्ट है:

"The UGC had then opined that the idea of setting up a university exclusively for Hindi was not educationally sound as it was likely to isolate learners of Hindi from those of other disciplines making thereby cross fertilization of ideas and information impossible. The objective, according to the UGC could be met either by strengthening or developing the existing infrastructure on the desired line or by setting up a separate institution, certainly not by setting up a separate university."

उर्दू के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन विश्वविद्यालयों में उर्दू विभाग पहले से ही हैं उनके अधिक से अधिक स्टैंडन करने की कोशिश की जाए। अगर हमारी सरकार यह सोचती है कि हैदराबाद में इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने से उर्दू की पूरी उन्नति हो सकती है तो उसे अपने बिल से यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पढ़ाईयां होंगी या उससे एफ़िलिएटेड कुछ कालेज भी होंगे? जैसा कि अभी रहमान साहब ने कहा बिल के बारे में क्लॉज़ बाय क्लॉज़ शायद मैं बोलू तो बहुत देर हो जाएगी।

लेकिन मैं केवल कुछ बातें रखना चाहूंगी। एक ऐसी भाषा जो शांति और क्रांति दोनों की भाषा है, जो शोले

और शबनम सब की भाषा है, उस को हमें पूरी तरह प्रोटेक्शन देना ही होगा, लेकिन किस तरह? आप ने पेज 3 पर खण्ड 4 "विश्व-विद्यालय के उद्देश्य" में दिया है—

"विश्वविद्यालय का उद्देश्य उर्दू भाषा का संवर्धन और उस का विकास करना, उर्दू के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, परिसर में और साथ ही दूर प्रशिक्षण द्वारा उर्दू माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को चलाने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों तक व्यापक रूप से पहुंचने की व्यवस्था करना और स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने का उपबंध करना होगा।"

महोदया, स्त्रियों की शिक्षा से क्या तात्पर्य है? स्त्रियों की शिक्षा क्या आप अलग बनाने जा रहे हैं या उर्दू भाषी बालिकाएं जो अपने घर से निकलकर शिक्षालयों तक नहीं जाती हैं, उन के लिए पत्राचार माध्यम से शिक्षा दोगे? यह भी क्लिअर नहीं है? महोदया, ऐसे बहुत सारे क्लॉज़ हैं, जैसे पेज-5 पर नंबर-7 में एक तरफ लिखा हुआ है कि, "विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला रहेगा।" दूसरी ओर इसी में नीचे है, "परन्तु इस धारा की कोई बात, विश्वविद्यालय की महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के कमजोर वर्ग..." यहां क्या मतलब है कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन नहीं होगा या जितनी भी महिलाएं आना चाहेंगी, सब को एडमीशन दे दिया जाएगा? यह क्लिअर नहीं हो रहा है।

इसलिए ऐसे बिल पर मैं सोचती हूँ पूरी तरह से बहस होना चाहिए और उस के बाद जो इस में खामियां हैं, उन्हें किसी तरह समाप्त करने के बाद इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात सोचनी चाहिए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्दे): धन्यवाद।

श्री जलालुद्दीन अंसारी।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाय, इसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे कहना है कि उर्दू विश्वविद्यालय आप खोलें पर हमारे देश के कई सुबों में उर्दू जुबान को दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया है, परंतु उन को जो सहायित्व मिलनी चाहिए, वह आज तक नहीं दी गई है तो क्या यह मुसलमानों को खुश करने के लिए या उर्दू जाननेवालों को खुश करने के लिए एक विश्वविद्यालय बना रहे है या सचमुच उर्दू जुबान की तरकी इस मुल्क में हो, उर्दू पढ़नेवाले जो लोग हैं उन को पढ़ने-लिखने

की सहूलियतें मिलें और इस जुबान की सही मायनों में तरक्की हो सके, इस मकसद से आप यह युनिवर्सिटी खोल रहे हैं? अगर आप का मकसद उर्दू जुबान की तरक्की से है तो मैं इस की पूरी-पूरी ताईद करता हूँ, समर्थन करता हूँ। लेकिन एक उर्दू विश्वविद्यालय हो जाय और एक हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पर हो जाय तो इस से न उर्दू की तरक्की हो सकती है और न हिंदी की तरक्की हो सकती है। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय का बिल भी आप अलग से लाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक होता यही रहा है और बदकिस्मती है इस मुक्त की कि वक्त-वक्त पर चर्चा होती है, कुछ कानून बना दिए जाते हैं, युनिवर्सिटीज खोल दी जाती हैं और आप ने इसी बिल के पेज-3 पर खंड-4 में दिया है कि इस का मकसद है—उर्दू जुबान को मजबूत बनाया जाय, जरूर बनाया जाय और कोई हिंदुस्तानी या कोई भारतीय इस का विरोध नहीं करेगा। हमारे वी०जे०पी० के भाई भी शायद इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उर्दू जुवां में कामशियल और तकनीकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए, बहुत अच्छी बात है। इसी जुवां में बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया जाए, अच्छी बात है। इस युनिवर्सिटी के परिसर के अंदर और उसके बाहर भी इस जुवां के जरिए पढ़ने लिखने का आप इंतजाम इस युनिवर्सिटी के जरिए करना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। अगर यही मकसद और यही नियम है इस युनिवर्सिटी बिल का, तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी सी०पी०आई० की ओर से इसका भरपूर समर्थन करता हूँ।

मैडम, इसमें कहा गया है कि स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने का उपबंध करना होगा। यही हमको खटक रहा है। एक तरफ तो आप 33 परसेंट रिजर्वेशन इनको सब जगह देने जा रहे हैं, संसद की ज्वयंट पार्लियामेन्टरी कमेटी बिल लाने के लिए विचार कर रही है और आप यहां इसमें यह बात रख रहे हैं कि इसका उपबंध होगा, प्रोवीजन होगा कि जो स्त्रियां हैं उनको भी शिक्षा दी जाए। हम समझते हैं कि इस तरह के आधे मन से आप बात मत कीजिए। आधी आबादी तो स्त्रियों की है, आप इन महिलाओं के लिए पूरा प्रोवीजन कीजिए कि हम महिलाओं को इसमें शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था करेंगे। "शैल" शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा उपबंध मत बनाइए कि हो सकता है करें। क्या मायने है इसका? अगर इस तरह से रहेगा तो जो मकसद है आपका, जिस मकसद के तहत आप यह बिल लाए हैं, अगर वह साफ नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। आप एक बड़ी, आधी

आबादी को इससे अलग रखना चाहते हैं, उन महिलाओं को जो उर्दू में तालीम हासिल करना चाहती हैं? उनके लिए भी आप यह लिखिए कि यह इंतजाम होगा। मेरा यह सुझाव है और मेरा यह जोर है इस पर, कि इसकी व्यवस्था आप इस बिल में साफ तौर पर जरूर करें।

मैडम, इसमें आगे बहुत सारे क्लॉज और प्रब-क्लॉज जोड़े गए हैं। इसमें एक जगह दिया है कि महिला छात्राओं के आवास, अनुशासन और शिक्षण के बारे में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे। हिन्दी तो बहुत जबरदस्त है— "वांछनीय"। यह क्या मायने हुआ? युनिवर्सिटी अगर समझे तब वह इंतजाम करेगा महिलाओं के होस्टल के लिए। मेरी जोरदार मांग है कि इस बिल में प्रोवीजन होना चाहिए कि जो पढ़ेंगे छात्राएं, महिलाएं, उनके लिए होस्टल की व्यवस्था, इंतजाम इस उर्दू युनिवर्सिटी के अंदर होगा। यह क्या है — "वांछनीय" अगर समझा जाए, तब करेंगे। इसका क्या मायने हुआ? आप इसमें जिसको भी बैठा दीजिए, जितना आप रखे है— चांसलर, वाइस चांसलर, यह, वह, अलाय, बलाय बहुत सा है इसमें। ....(व्यवधान)...यह तो रहता ही है, हर बिल में रहता है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): यह क्या चीज होती है?

श्री जलालुद्दीन अंसारी: जिसको लेकर के हर जगह झगड़ा-फसाद सब हो रहा है। यह तो रोज देखते हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): नहीं, आपने जो अभी कहा है, यह क्या चीज होती है? अलाय, बलाय, यह समझ में नहीं आया।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: वह अलाय, बलाय, जो ऐसे ही प्रोवीजन लटका दे। इसको हम अपने मन ही में कहते हैं, यह कोई हिन्दी का शब्द नहीं है। जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसको इसमें लगा दें। यह बेकार की चीज। ... (व्यवधान) ... तो समझे, मौलाना, आप तो झगड़ा करवाते रहते हैं।

मैडम, हमारा कहना है कि इस बिल में यहां पर आप जोड़िए कि महिलाओं के लिए होस्टल होगा। डिसिपिलिन तो जरूरी है, बिना डिसिपिलिन के कुछ नहीं चलता है। डिसिपिलिन होना ही चाहिए। तो यह इंतजाम बिल्कुल कम्लसरी रूप में इस बिल में आना चाहिए कि महिलाओं के लिए होस्टल, डिसिपिलिन, पढ़ाई का इंतजाम वगैरह और होस्टल जरूर होना चाहिए। आज

जो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए होस्टल नहीं है, कैसे खरक पड़ रहे हैं, मालूम है, क्या-क्या कठिनाइयाँ और दिक्कतें हो रही हैं? लेकिन जब आप एक यूनिवर्सिटी में महिला को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए होस्टल जरूर हो, इसका प्रावधान आप इस बिल में रखें, यह मेरा सुझाव है। इसमें और अगर थोड़ी-बहुत कोई कमजोरी है तो उसको दूर करके हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बनाने का बहुत अच्छा मकसद है सरकार का। हमारे नेशनल मूवमेंट के बड़े लीडर के नाम पर और हमारे हिन्दुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे - मौलाना आजाद साहब, तो इनके नाम पर आप उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जरूर बनाइए, लेकिन उर्दू की तरफ़ी हो और उसमें पढ़ाई-लिखाई के लिए जो किताब हो सबवेक्ट के मुताबिक, जिसमें कामर्सियल और तकनीकी, साइंस की शिक्षा देने का आप इंतजाम कीजिए ताकि सही मायनों में एक कारगर यूनिवर्सिटी के तौर पर इसे हिन्दुस्तान में कायम किया जाए और इसका नाम दुनिया में भी रोशन हो और अपने मुल्क में भी उर्दू ज़बान को बढ़ाने में यह सहायक हो और उसके ज़रिए तालीम लोग हासिल कर सकें, इस लायक इस यूनिवर्सिटी को आप कायम कीजिए और उसके मुताबिक लोगों को फायदा पहुंचाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

الاشرفى جلال الدين انصاري بهارہ : اپ

سجیاد حدیثش مجود ہے۔ مولانا آزاد اور اشرفی  
اردو یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی  
تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔  
میں اس بل کا مسورگت کرتا ہوں۔ لیکن  
مجھ کو کہنا ہے کہ اردو یونیورسٹی آپ کو نہیں  
پر بھروسہ دینے کے کئی مضمونوں میں اردو  
زبان کو دوسری زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔  
پرنسپل اور جو ممبروں میں چاہیں وہ لوگ  
تک نہیں دی گئی ہیں۔ تو کیا یہ مسلمانوں

□ Transliteration in Arabic Script.

کو خوش کرنے کیلئے یا اردو جاننے والوں کو  
خوش کرنے کیلئے ایک یونیورسٹی بنا رہے  
ہیں۔ یا سچ بچ اردو زبان کی ترقی اس  
ملک میں ہو۔ اردو پر صرف وہ لوگ جو لوگ  
ہیں انکو پر صرف لکھنے کی سمجھوتہ ملیں۔  
اور اردو زبان کی صحیح معنوں میں ترقی ہو  
سکے۔ اس مقصد سے آپ یہ یونیورسٹی  
کھول رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اردو زبان  
کی ترقی سے ہے تو میں اسکی پوری پوری  
تائید کرتا ہوں۔ سرفراز تائید ہے۔ لیکن ایک  
اردو یونیورسٹی ہو جائے اور ایک صفوی  
یونیورسٹی مہاتما گاندھی کے نام پر ہو جائے  
تو اس سے نہ اردو کی ترقی ہو سکتی ہے۔  
اور نہ صفوی کی ترقی ہو سکتی ہے۔ مہاتما  
گاندھی یونیورسٹی کا بل بھی آپ الگ سے  
لئے جا رہے ہیں۔ لیکن آج تک ہوتا نہیں  
دیا ہے اور برقیہ میں ہے اس ملک کی کہ  
وقت وقت پر چرچا ہوتی ہے۔ کچھ قانون  
بنا دئے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کھول دی  
جاتی ہیں اور آپ نے اسی بل کے بیج  
تین پر کھنڈ چار میں دیا ہے کہ اس کا  
مقصد ہے اردو زبان کو مضبوط بنایا  
جائے۔ ضرور بنایا جائے اور کوئی صفوی ستانی  
یا کوئی کھلائی مسلمانوں کو دودھ نہیں کرے گا۔  
اسکی ترقی کی جائے اس پر بھی عام سمجھوتہ ہوگی۔

ہمارے بی۔ جے۔ پی کے بجائے بی جے پی کے ساتھ  
اسکی مخالفت نہیں کرتے۔ ایسی ہم امید کرتے  
ہیں۔ اردو زبان میں نکر سٹیل اور ٹیکنیکی جو  
سبھی ایکٹس میں انکی شکستہ دی جائے۔  
ایجوکیشن دی جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔  
اس یونیورسٹی کے پریسٹر کے انڈر اور اس  
کے باہر بھی اس زبان کے ذریعے پڑھنے لکھنے  
کا انتظام آپ اس یونیورسٹی کے ذریعے  
کرتا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہی  
مقصد اور یہی نیت ہے اس یونیورسٹی  
بل کا تو میں اپنی اور سے اور پارٹی سے پی۔ ای  
کی اور سے اسکا پور پور سمجھن کرتا ہوں۔  
میڈم اس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کی  
شکستہ پردہ دیا دینے کا ایجنڈہ کرنا ہو گا یہی  
ہم کو کھٹک رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ ۳۳  
پر سینٹ ریزرویشن ان کو سب جگہ دیے  
جائے ہیں۔ سمندر کی جو انٹنٹ پارٹیاں  
کھینچی بل لانے کیلئے وچا کر رہی ہے اور آپ  
یہاں اس میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اس  
کا ایجنڈہ ہو گا۔ پروویژن ہو گا کہ جو  
خواتین ہیں انکو بھی شکستہ دی جائے۔ ہم  
سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آدھے من سے  
آپ بات مت کیجیے۔ آدھی آبادی تو  
خواتین کی ہے۔ آپ ان مہیلاؤں کے لئے  
پورا پروویژن کیجئے کہ ہم مہیلاؤں کو

اس میں شکستہ دینے کی پوری ویو مستحق ہے  
سٹیل مشین کا اہتمام کیجئے۔ ایسا  
ایجنڈہ مت بنائیے کہ ہو سکتا ہے نہیں۔  
کیا معنی میں لے لے۔ اگر اس طرح سے لے لے لے  
تو جو مقصد ہے آپ کا۔ جس مقصد کے  
تحت آپ یہ بل لائے ہیں۔ اگر وہ صاف  
نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ایک  
بڑی آدھی آبادی کو اس سے الگ رکھنا  
چاہتے ہیں۔ ان مہیلاؤں کو جو اردو میں  
تسلیم حاصل کرتا چاہتی ہیں۔ ان کے لئے بھی  
آپ یہ لکھتے کہ یہ انتظام ہو گا۔ میرا یہ سچا  
ہے اور میرا یہ زور ہے اس پر کہ اس کی ویو  
آپ اس بل میں صاف طور پر ضرور کریں۔

میڈم۔ اس میں آگے بہت سارے کلاز  
اور سب کلاز جوڑے گئے ہیں اس میں  
ایک جگہ دیا گیا ہے کہ مہیلا چھاتراؤں  
کے آؤ اس افسوس اس اور شکستہ کے  
بارے میں ایسے وٹیشن انتظام کرنا۔  
جو یونیورسٹی و انچھنی سمجھ۔ معذرت  
بہت زبردست ہے تو انچھنی۔ یہ کیا معنی  
ہوا۔ یونیورسٹی اگر سمجھ تب وہ انتظام  
کریگا مہیلاؤں کیلئے حاصل کا۔ میری  
زور دار مانگ ہے کہ اس بل میں پروویژن  
ہونا چاہئے کہ جو پڑھیں گی چھاتراؤں  
مہیلاؤں کے لئے ہو سکتا کی ویو مستحق





مصوبہ محضوں میں ایک کارڈ پر یونیورسٹی کے طور پر بسے صفحہ دوستان میں قائم کیا جائے اور اس کا نام دنیا میں بھی روشن ہو اور اپنے ملک میں بھی اردو زبان کو بڑھانے میں یہ سہا ایک ہو اور اسکے ذریعے تعلیم لوگ حاصل کر سکیں۔ اس لائق اس یونیورسٹی کو آپ قائم کیجئے اور اسکے مطابق لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔

ایضاً شعبوں کے ساتھ میں اس بل کا سوراگت کرنا ہوگی۔ "ختم شدہ"

श्री सोलीपेटा रामचन्द्र रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मोहतरमा वाइस चैयरमैन, शुक्रिया। उर्दू जवान को प्रमोट करने के लिए और लोकेशनल एंट टैकनीकल एजुकेशन उर्दू में देने के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी के कयाम के ताल्लुक से हमारे मोहतरम वज़ीर श्री बोम्मई साहब ने जो बिल पेश किया है इस हाउस में, मैं उसका तेलगू देशम पार्टी की ओर से तेहदिल से पुजोर खैरमकदम करता हूँ ताईद करता हूँ।

इस यूनिवर्सिटी को मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी नाम देना बहुत अक्लमंदाना और मुसिफ़्ताना काम समझता हूँ क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के तहरीके आजादी बहुत बड़े रहनुमाओं में से एक हैं, न सिर्फ़ हमारे देश के रहनुमा हैं बल्कि एक बहुत बड़े स्का लर भी हैं। यह यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम करने का जो फैसला है इसकी मैं बहुत सतायज़्ज़ करता हूँ और खैरमकदम करता हूँ। उर्दू को फ़रोग देने के लिए हमारे यहां चन्द्रबाबू नायडू की हुकूमत ने अब तक कई हकदामात किये हैं। खुसूसन जहां कहीं भी बच्चे उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, वहां छोटे से गांव में भी प्राइमरी स्कूल्स में भी उर्दू के सैवशन खोले जा रहे हैं और उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर्स को भी रखा जा रहा है। न सिर्फ़ वह बल्कि शायद एक दो स्टेट्स में हुआ होगा, लेकिन हमारे स्टेट की अहमियत है, हमारे आंध्र प्रदेश में जिन अज़ला में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद अच्छी है, वहां उसको आ फिशियल लैंग्वेज का, सैकिंड लैंग्वेज का दर्जा भी

दिया गया है, हमारी हुकूमत ने यह किया है। यह मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मैं हाऊस का और सबका इस यूनिवर्सिटी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आलरेडी 300 एकड़ जमीन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाजू इसके लिए, हमारी हुकूमत ने, चन्द्रबाबू नायडू ने इसके लिए जमीन मुख्तम भी की। जनाब अजीज़ कुरेसी साहब की सदरत में कमेटी ने 12 जून, 1993 को रिपोर्ट दिया, बहुत अफसोस के साथ, तकलीफ़ के साथ बोलना पड़ता है कि इतना लम्बा अरसा देना पड़ रहा है। 24 अगस्त, 1995 को यह बिल राज्य सभा में पेश होता है। आज एक साल तीन महीने लग रहे हैं, आज हमको इसके ऊपर चर्चा करके इसे पास करने का मौका मिला है, यह बहुत अफसोसनाक बात है, इसके बावजूद कम से कम अब तो हुआ, मैं इसलिए बोम्मई साहब को मुबारकबाद देता हूँ और चन्द्र गुज़ारिशों के साथ मैं मांग करता हूँ और मिनिस्टर से मुतालिबा भी करता हूँ कि हिन्दुस्तान में उर्दू बोलने वाले बहुत सारे लोग नार्थ में, ईस्ट में, साउथ में हर तरफ़ हैं। इसलिए आप साऊथ में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूँ। कि नॉर्थ में भी इसकी एक ब्रांच होनी चाहिए और मुझे जहा तक इल्म है गुजरात साहब की कमेटी ने भी यह रिकमेंड किया है।

जैसा कि अभी रहमान खान साहब ने फरमाया है कि उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग जो डिग्री पाते हैं उसको राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। जैसा कि बायालार रवि साहब ने फरमाया है कि आर्डिनेंस निकालने के जो अख्तियारात दिए गए हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐंड ऐकज़ामिनेशन के बारे में, उसका प्रयोग करके बंगाली, अंग्रेजी, तेलुगु आदि भाषाओं के माध्यम से भी उर्दू की शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ।

महोदया, इस बिल में इस यूनिवर्सिटी के लिए हर साल 6 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मैं मिनिस्टर साहब के माध्यम से यह बात हाऊस के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस वक्त यह बिल तैयार किया गया था उस समय पेट्रोल की कीमतें, फर्नीचर की कीमतें, लकड़ी की कीमतें और अन्य वस्तुओं की कीमतें आज की तुलना में काफी कम थीं। इसलिए इस राशि को बढ़ाना चाहिए।

I request the hon. Minister to give an assurance regarding the date by which this University would start functioning in

Hyderabad, otherwise, it will take another ten years. I would like the hon. Minister to give an assurance that it would start functioning from so and so date.

श्री ईश दत्त बादब (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बिल 1995 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस देश के एक बड़े राष्ट्रीय नेता, स्वाधीनता संग्राम में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उर्दू और इस्लामिक दर्शन के जो प्रख्यात विद्वान थे मौलाना अबुल कलाम, आज़ाद उनके नाम पर यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।

महोदया, यह इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहां जाति के नाम पर, महज़ब के नाम पर, भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। भाषाएं बड़ी और फली-फूली हैं धर्म और मज़हब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। जिस तरह से हिंदी इस देश की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसी तरह से उर्दू को भी सम्मान मिलना चाहिए था उर्दू की पढ़ाई-लिखाई के लिए, उसके अध्ययन के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था लेकिन शुरू से इस भाषा की उपेक्षा हुई। जब उर्दू भाषा का संबंध रोजी-रोटी से जुड़ा नहीं तो उर्दू की पढ़ाई लगभग बंद हो गई। केवल कुछ स्कूलों में या कुछ अन्य संस्थाओं में उर्दू की पढ़ाई चलती रही क्योंकि उर्दू पढ़ने के बाद नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। उसकी रोजी का उर्दू से संबंध नहीं था इसलिए उर्दू एक अहम भाषा होने के बावजूद धीरे-धीरे खत्म होने लगी। इसलिए सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ा और सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इस विधेयक में कई खामियां हैं लेकिन सरकार का ध्यान मैं इतने थोड़े समय में उन खामियों की ओर आकर्षित करने में असमर्थ हूँ।

यह तो बिल पास हो जाए, यही एक बहुत बड़ी बात होगी और फिर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन होने लगेंगे। मैडम, उर्दू और हिन्दी का फर्क कर दिया गया है। देश में अंग्रेज़ी को नौकरियों के लिए प्राथमिकता दी गई। मैं और मेरी पार्टी इससे विश्वास नहीं करते हैं। हम सभी भाषाओं को समान दर्जा देना चाहते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहते हैं। एक शायर ने लिखा है:

“उर्दू और हिन्दी में फर्क है इतना,  
उर्दू में देखते हैं ख़ाब और हिन्दी में  
देखते हैं सपना”

केवल इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा उर्दू और हिन्दी में फर्क नहीं है। आज इस समय भारत सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं — श्री मुल्तायम सिंह खदब जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी जुवान का दर्जा दिया था और इतना ही नहीं किया था बल्कि उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम भी किया था। उन्होंने कानून बना दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू टीचर्स का अपोइंटमेंट हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कार्यालयों में, सभी आफिसेज के लिए उर्दू ट्रांस्लेटर्स का अपोइंटमेंट किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में उर्दू के प्रति आस्था बढ़ गई। मैं चाहता हूँ सरकार से और श्री बोम्बई साहब से कि केन्द्र सरकार भी इस ओर गंभीरता से विचार करे। आप विश्व-विद्यालय तो कायम कर देंगे, विश्व-विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई होगी, उच्च अध्ययन होगा, विद्वान लोग, ग्राजिल फाजिल लोग निकलेंगे इस विश्व विद्यालय से। टैकीकल एजुकेशन भी दी जाएगी। लेकिन अगर नौकरियों में उर्दू को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी या उर्दू को सम्मान नहीं दिया जाएगा या उर्दू पढ़े हुए व्यक्ति को कुछ और तरज़ीह नहीं दी जाएगी तो जिस तरह से देश के अंदर उर्दू की ओर संस्थाएं चलती हैं इस यूनिवर्सिटी का हथ्र भी यही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू को आप सम्मान दीजिए। मैं आपको, सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि आपने उर्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना करने के लिए इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक पास भी हो जाएगा। लेकिन केवल इस विधेयक को पास कराकर और उर्दू विश्व-विद्यालय की हैदराबाद में स्थापना करके आपको छोड़ देना नहीं होगा। इसके लिए आपको नियम भी बनाने पड़ेंगे, कानून में भी परिवर्तन करने होंगे, ताकि इस विश्व-विद्यालय से जो निकलता है, उर्दू का जो विद्वान होता है तथा जब वह यहां से निकले तो उसको सम्मान भी मिले और देश में चाहे केन्द्र सरकार की नौकरी है और चाहे प्रदेश सरकार की नौकरी है उस नौकरी में उसको वरीयता मिले, कुछ अंक मिलें कि यह उर्दू विश्व-विद्यालय से पढ़कर के निकला है तथा उर्दू की इसको जानकारी है। मैडम, जिस तरह से 50 वर्षों में देश की आजादी की स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं, स्वर्ण-जयंती के वर्ष में चल रहे हैं और उर्दू धीरे-धीरे खत्म हो गई तथा उर्दू को सम्मान नहीं दिया गया। मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि उर्दू किसी एक मजहब की भाषा नहीं होनी चाहिए, उर्दू सबकी भाषा होनी चाहिए। जिस तरह से देश में और भाषाएं हैं — 18 भाषाएं हैं, उस तरह से उर्दू भी सबकी होनी चाहिए। किसी एक वर्ग या एक सम्प्रदाय की भाषा

नहा हाना चाहिए। हमारे हिन्दू लोग भी बहुत अच्छे शायर और विद्वान हुए हैं। गोरखपुर - जहाँ के पास का मैं रहने वाला हूँ वहाँ मैं समझता हूँ कि फिरफक गोरखपुरी उर्दू जुबान के एक बहुत बड़े शायर थे। जिनके गीतों में, जिनकी गजलों में, जिनकी रचनाओं में आज एक जिन्दादिली है। मुन्शी प्रेमचन्द जो कहानियों के सम्राट कहे जाते हैं, मैं जानता हूँ कि हिन्दी और उर्दू में कोई ऐसी अच्छी कहानी लिखने वाला इस देश के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जैसे कि रीति-रिवाज हो गए थे, परम्परा हो गई थी कि उर्दू किसी और की ज़बान है, हिन्दी किसी और की ज़बान है, इस तरह से सरकार को और दूसरे लोगों को इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तहेदिल से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खारपडे): धन्यवाद यादव जी। श्री समदानी।

SHRI M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Thank you, Madam. I speak very briefly by only underlining the sentiments expressed by the hon. Members.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I thought you are going to speak in Urdu.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, what is wrong with English? Starting with Sikander Bakhtsahib, the hon. Leader of the Opposition to the hon. Member who spoke just before me, we are all happy to welcome the decision of the Government to establish a University for the promotion of Urdu higher learning in the name of Maulana Azad National Urdu University. Maulana Azad was our national leader. He was a staunch lover of Urdu language and literature. The position of language is basically that of medium of expression for a man. All languages are great heritages of mankind. No language is inferior to the other. Every language is rich. But it is unfortunate that in our country even language is misused on some occasions

for parochial interests. According to the Quoran philosophy: "The difference of language is one of the great signs of God". In the Vedic thought: "Language is Lakshmi". *Jihwagevarthade Lakshmi*. Madam, Urdu is a beautiful language contributed by our country to the world of letters. More than a language, it is the symbol of our cultural give-and-take process. It is a language born out of the blending of languages like Arabic, Sanskrit, Persian and Turkish. It has all the qualities of these classical languages. The Hindustani culture which is one of the central points of our glorious heritage is very well represented by Urdu language. It is the nucleus of our मिली-जुली गंगा-जमुनी तहजीब But, Madam, in spite of all these specialities, due importance in our cultural set-up is not given to Urdu language. Urdu language was always waiting for justice. Now, we hope, this decision to establish a University may contribute to the practicalisation of the great dreams concerned with Urdu. It is not a language of minorities or this community or that community. It is the language of our national integration. The Urdu University is going to be a creative step in acknowledging the real worth of one of the great languages that has always enriched our cultural contributions. Urdu is the language of India. It is spoken by more number of people in our country than in Pakistan. In India, more or less, all the States are interlinked by Urdu. It also plays the role of a link language in the vivid world of our cultural and lingual diversity. In Pakistan, Punjabi, Sindhi, Pushtu, etc. are also spoken by large sections of people but that is not the case with our country. In a recent survey conducted by the U.N., it was found that Urdu is the third language of the world spoken by the maximum number of humanity after Chinese and English. Urdu language stands third in rank. This is something which we have to be proud of. An Urdu University is naturally meant for higher learning. But, what about the preliminary studies in the Urdu language. This is a much neglected field. Without

giving due importance to the basic needs no language and literature can be promoted.

Wherefrom is the Urdu University is going to get the students, if necessary attention is not paid to the preliminary Urdu education? Therefore, I request the hon. Minister to look into this matter also and take necessary steps to improve this state of affairs. In the national media Urdu should be given due representation. Now, in the A.I.R. and Doordarshan, Urdu news is read in minor channels. In Doordarshan Channel I, Urdu news can also be read along with Hindi and English news. In the language policy of our country Urdu as well as regional languages are to be given due share as the national language - Hindi - stands in the first rank. All Indians respect Hindi as the great National language of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Samadani...

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Just two minutes, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Agriculture Minister is to make a statement on the recent cyclone in Andhra Pradesh.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: I am concluding in just one minute, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please conclude within a minute.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, to make it brief, I have written it down. I am not going into the details.

Hindi is to be patronised at every level of national life. English also stands as a great benefactor language of India. It is a language widely used throughout the country. But the position of regional languages is very important. No country can go forward, no country can progress, without taking along with it its mother tongues.

Madam, Urdu is more than a regional language. It has to be given the status of second Official Language. It is the sister of Hindi language. Hindi and Urdu are the two beautiful eyes of India. The Maulana Azad National Urdu University is an attempt to see the world through these precious eyes. Therefore, this great language has to be given the status of second Official Language.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please conclude, Mr. Samadani.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: I am concluding. Madam, nowadays, scarcity is not for scholars. Knowledge is everywhere. I wish the best for this University.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, the hon. Minister of Agriculture. ... (Interruptions)...

SHRI SATISH AGARWAL: Copies of the statement have to be distributed.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please, I want to say something. You are just getting panicky about the statement. He is going to make a statement on the floor of the House. Did you get the copy of the statement?

SHRI SATISH AGARWAL: No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Statement by the Agriculture Minister, Shri Chaturanan Mishra, on the Andhra Pradesh cyclone. स्टेटमेंट की कॉपी सबको दे दीजियेगा।

SHRI S.B. CHAVAN: I think he should wait till the copies of the statement reach us.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मंत्री जी, आप जरा दो मिनट बैठियेगा जब सबको कॉपीज मिल जायेंगी तब शुरू कीजियेगा।

कृपि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): हाउस के मेम्बरो को स्टेटमेंट की कॉपी देने के अलावा हमने इंडिया के तमाम राज्यों में यह स्टेटमेंट भिजवा दी है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल: धन्यवाद। यह तो बहुत अच्छा हुआ। ... (ब्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खारडे): ठीक है, कोई बात नहीं, मंत्री जी दो मिनट रुक जाइयेगा। प्लीज। (ब्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Minister, we wanted it for Andhra Pradesh and Pondicherry, which were affected badly. Who wanted it for the whole country now?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Don't try to delay the issue.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I have given you the figures. You can grill the Minister!

SHRI V. NARAYANASAMY: As you have been doing earlier? I wanted to do it as you have been doing earlier. We will do it now. You are going to see that also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Pondicherry also is there.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Narayanasamy, he has not yet made the statement.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, my strong objection to the statement of the hon. Minister is that only Andhra Pradesh has been mentioned by the hon. Minister, mainly, and there are only a few lines about Pondicherry. Amalapuram-Yanam was the focal point of the hurricane, but about Yanam the hon. Minister has put in only one sentence. This is the statement of the hon. Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I hope everybody has got a copy of the statement both in Hindi and English.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, may I begin now?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Yes.

#### STATEMENT BY MINISTER

##### Situation Arising from Cyclone in Andhra Pradesh

—  
THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): Madam Vice-Chairman, I seek leave of the House to make a statement on the situation arising from the severe cyclone in Andhra Pradesh on the 6th-7th November 1996 and the relief and rehabilitation measures taken by the Government.

A severe cyclonic storm with a core of hurricane winds struck the coast of Andhra Pradesh about 50 kms. south of Kakinada at 9.30 p.m. on the 6th November, 1996. The India Meteorological Department had been tracking the cyclone and had issued warnings to the State Government, Doordarshan and All India Radio, from time to time, of the likely course and landfall of the cyclone. The cyclonic storm went through very rapid intensification from depression to severe cyclonic storm with a core of hurricane winds. After crossing the Andhra Pradesh coast, the storm moved in a west-north-westerly direction, weakened into a deep depression and then into a low pressure area by the 7th evening, before fading out. The cyclone has caused severe damage and destruction in East Godavary and West Godavary districts of Andhra Pradesh. A total of 96 Mandals in 4 districts (East Godavari, West Godavari, Krishna and Khammam) have been affected. According to the latest information available from the Government of Andhra Pradesh, the death toll is 971, including 872 deaths in East Godavari, 98 deaths in West Godavari and 1 in Khammam districts. Nine hundred and twenty-five persons are still reported to be missing, and 1,77,150 persons were evacuated and taken to 742 relief camps. The assistance of the Defence Services was made available to